चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 08.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 08.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी मौनी अमावस्या मेले को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 08.02.2024 को यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा रेलवे स्टेशन के पास टैम्पो एवं ई-रिक्शा चालकों के साथ मौनी अमावास्या के सम्बन्ध में आवश्यक वार्ता की गयी। इस दौरान यातायात प्रभारी द्वारा चालकों को बताया गया कि निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को वाहन पर न बैठायें, पायदान या छत पर यात्रियों को न बैठायें, मादक द्रव्य का सेवन करके वाहन न चलाये, यात्रियों को बैठाते एवं उतारते समय वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करें, श्रद्धालुओं से निर्धारित किराया ही लें तथा श्रद्धालुओं से शिष्य व्यवहार करें।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय

एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 462/2017 धारा363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त निक्की उर्फ विनोद पुत्र गया प्रसाद उर्फ उज्जू बहेलिया निवासी चकला गुरुबाबा मजारकल्ला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 24.04.2017 को वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि अभियुक्त विक्की उर्फ विनोद उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 462/2017 धारा363.,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शरद चन्द्र पटेल द्वारा की गयी विवेचक द्वारा दिनांक 13.06.2017 को ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 03.09.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2017 धारा 354डी,323,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अखिलेश निषाद पुत्र त्रिलोकी निषाद निवासी मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 24.06.2017 को वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि अभियुक्त अखिलेश निषाद उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री छेड़छाड़ व मारपीट की है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 253/2017 धारा 354डी,323,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा द्वारा की गयी तथा दिनाँक 06.09.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 95/2024 धारा 326,323,504,506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त रंजीत पुत्र संतशरण निवासी गया का पुरवा मजरा चकौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अंकुश कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी राहुल देव

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा एवं अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा नाबालिक गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद पर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.01.2024 को वादी श्री राजेश कुमार निवासी चकला गुरुबाबा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनका 17 वर्षीय पुत्र सागर बिना बताये घर से कहीं चला गया है काफी खोजबीन

की गयी किन्तु नहीं मिला, इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 71/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी ने बालक की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह चौकी शिवरामपुर को लगाया गया । उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 08.02.2024 को बालक को सकुशल बरामद कर विधिक कार्यवाही के उपरान्त सीडब्लूसी(बाल संरक्षण इकाई) के समक्ष परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह चौकी शिवरामपुर
2. आरक्षी हिमान्शु पटेल

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2018 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.राजा भईया उर्फ बोग्गा पुत्र छत्रपाल 2. ममता पत्नी राजा भईया कोल निवासीगण लक्ष्मणपुर मजरा कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 15.01.2018 को वादी श्री दयाशंकर पाण्डेय पुत्र रामसखा पाण्डेय निवासी लक्ष्मणपुर मजरा कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने थाना मानिकपुर में सूचना दी थी कि राजा भईया कोल एवं उसकी पत्नी ममता कोल उपरोक्त ने मेरे बेटे दीपू पाण्डेय की हत्या करके खेत में फेंक दिया है इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 02/2018 धारा 302/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष मानिकपुर श्री श्यामसुन्दर यादव द्वारा की विवेचना की गयी। दिनाँक 18.01.2018 को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं दिनाँक 04.03.2018 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गई संयुक्त प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2015 धारा 148,149,307,504,506 भादवि0 12 डीए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल पुत्र लल्लू कोल जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 29.12.2025 को वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री शाजिद अली व उनकी टीम पर बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर कर,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 35/2015 148,149,307,504,506 भादवि0 12 डीएए0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचक तत्कालीन उ0नि0 श्री शेषमणि त्रिपाठी द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 03.02.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपहृत एवं गुमशदा व्यक्तियों की बरामद की हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने मानसिक रूप से विक्षिप्त घर से भटके व्यक्ति को परिजनों के सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय कि थाना मऊ में नियुक्त आरक्षी राहुल पांडे एवं आरक्षी अजय प्रकाश भारती को मऊ बस स्टैंड पर मानसिक रूप से विक्षिप्त पंकज गौतम पुत्र स्वर्गीय जानकी प्रसाद गौतम निवासी ग्राम मालातर पोस्ट रतनगवाँ तहसील मऊगंज थाना मऊगंज जिला मऊगंज मध्य प्रदेश जो कि अपने घर से दिनाँक 06.02.2024 भटक गया था उपरोक्त आरक्षियों द्वारा इन्हें थाने मऊ पर लाया गया तथा उनके परिवारीजनों से संपर्क कर उन्हें थाना मऊ में बुलाया गया,थाना मऊ में बुलाकर उनके जीजा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला पुत्र सुदर्शन प्रसाद शुक्ला निवासी भलवार तहसील व थाना रामपुर नैकिंन जिला सीधी मध्य प्रदेश के सुपुर्द किया गया।

(11). आज दिनाँक 08.02.2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान श्री अनुज कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में एस0चेक,डॉग स्क्वायड,एलआईयू की टीम द्वारा माघ मास मौनी अमावस्या मेला में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाड़ा,परिक्रमा मार्ग व स्टेशन आदि स्थलों पर संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(12). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहा है अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री जयप्रकाश उपाध्याय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चंद्रमणि पांडेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शिवबली यादव पुत्र नत्थू यादव निवासी ग्राम गढ़ौली थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री चंद्रमणि पांडेय थाना सरधुवा
2. आरक्षी बब्बू राजा